रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2371] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 2371] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 21 नवम्बर, 2014

का.आ. 2952(अ).—भारत के राष्ट्रपति और कस्तूरबा सेवा मंदिर न्यास, राजपुरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् केएसएमटी कहा गया है) के बीच निष्पादित पट्टा विलेख द्वारा सरकारी भूमि, उस पर सरकार द्वारा सन्निर्मित भवनों सहित, जिसकी कुल माप 46.93 एकड़ है और जो पंजाब राज्य के राजपुरा-140401 में स्थित है और जो उस करार से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित तथा रेखांक में अंकित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टे पर दी गई भूमि कहा गया है), केएसएमटी द्वारा चलाए जा रहे लोक और पूर्त संबंधी क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए नाममात्र के एक रुपया वार्षिक किराए पर केएसएमटी को, 17 जनवरी, 1959 से तीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी;

और जबकि समय-समय पर उक्त पट्टा बढ़ाया गया था और उसे अंतिम रूप से 16 जुलाई, 2000 से 15 जुलाई, 2004 तक चार वर्ष की और अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए और बढ़ाया गया था कि कस्तूरबा सेवा मंदिर न्यास (केएसएमटी):-

(i) अपने कार्यकलापों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और 16 जुलाई, 2004 से पहले सरकारी भूमि को खाली कर देगा; या

(ii) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रचलित बाजार दरों पर पट्टा भूमि खरीदेगा; या

(iii) तत्काल पट्टे पर दी गई भूमि सरकार को सौंप देगा।

और केएसएमटी पूर्वोक्त शर्तों के अनुपालन करने तथा 16 जुलाई, 2004 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई भूमि को खाली करने में असफल रहा है;

और संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली टीम ने पट्टे पर दी गई भूमि को देखा और यह पाया कि न्यास खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न स्कीमों के अधीन लोक तथा पूर्त संबंधी कार्यकलापों तथा विकासात्मक कार्यकलापों के स्थान पर बर्फ की फैक्टरी, किराये पर गोदामों, कृषि उत्पादों और चारे की बिक्री सहित निजी कार्यकलाप कार्यान्वित कर रहा है;

और माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के अनुमोदन से तथा विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से पट्टा भूमि को उक्त सूचना की तारीख अर्थात् 11 जून, 2012 से तीन मास की अवधि के भीतर खाली करने के लिए न्यास को एक विधिक सूचना की तामील करवाई गई थी।

और न्यास ने विधिक सूचना में यथा उल्लिखित तीन मास की नियत अवधि के भीतर भूमि खाली नहीं की है;

और केंद्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उप खंड (ii), तारीख 02 जनवरी, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 14(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2013 द्वारा श्री एल. हौकिप, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को अप्राधिकृत दखलकार अर्थात् केएसएमटी की बेदखली के प्रयोजनार्थ सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 की 40) की धारा 3 के अधीन पंजाब राज्य में राजपुरा 140401 की स्थानीय सीमाओं में पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में तीन मास की अवधि के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था।

और तीन मास की उक्त अवधि समाप्त हो गई है और सम्पदा अधिकारी उक्त सरकारी स्थान (अनधिकृत दखलकार की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

अब केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एल हौकिप, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को अवैध दखलकार अर्थात् कस्तूरबा सेवा मंदिर ट्रस्ट (केएसएमटी), राजपुरा से पट्टे पर दी गई भूमि खाली करवाने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 31 मार्च, 2015 तक की और अवधि के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है तथा सम्पदा अधिकारी की अधिकारिता पंजाब राज्य में राजपुरा 140401 की स्थानीय सीमाओं तक विस्तारित रहेगी।

[फा. सं. 4(33)/86-केवीआई-I]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

S.O. 2952(E).—Whereas by a lease deed executed between the President of India and the Kasturba Seva Mandir Trust, Rajpura (hereinafter referred to as KSMT), the Government land with buildings constructed thereon by the Government, measuring in all 46.93 acres and situated at Rajpura-140401 in the State of Punjab described in the Scheduled to, and delineated on the plan annexed to, the said Agreement (hereinafter referred to as the leased land), was given on lease to KSMT on a nominal yearly rent of Rupee one in view of the public and charitable activities carried on by KSMT, with effect from the 17th January, 1959 for a period of thirty years;

And whereas the said lease was extended from time to time and was last extended for a further period of four years with effect from 16th July, 2000 upto 15th July, 2004, subject to the conditions that KSMT shall-

(i) make alternative arrangements for carrying out its activities and vacate the Government land before 16th July, 2004; or

(ii) purchase the leased land at the prevailing market rate as fixed by the Central Public Works Department; or

(iii) handover the leased land to the Government immediately.

And whereas, KSMT failed to comply with the conditions stated above and to vacate the leased land on or before the 16th July, 2004;

And whereas, the team headed by the Joint Secretary visited the leased land and it was observed that the trust is carrying on with private activities including ice factory, renting of godowns, sale of agricultural products and fodder instead of public and charitable activities and developmental activities under various schemes of Khadi and Village Industries Commission;

And whereas, a legal notice was served to KSMT with the approval of Hon'ble Minister of Micro, Small and Medium Enterprises and in consultation with the Ministry of Law and Justice to vacate the leased land within a period to three months from the date of said notice i.e., 11th June, 2012;

And whereas, the trust did not vacate the land within the stipulated period of three months as mentioned in the legal notice;

And whereas, the Central Government had, vide notification number S.O. 14(E), dated 30th December, 2013, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 2nd January, 2014, appointed Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi-110011, as the Estate Officer for a period of three months in respect of the leased land within the local limits of Rajpura-140401 in the State of Punjab under Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) for the purpose of eviction of unauthorized occupant, namely, KSMT;

And whereas, the said period of three months has expired and the Estate Officer has not been able to complete the eviction process under the said Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971;

Now, in exercise of the powers conferred under section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, the Central Government hereby appoints Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi-110011, as the Estate Officer for a further period upto 31st March, 2015, for the purpose of taking necessary action under the said Act to evict the illegal occupant, namely, the Kasturba Seva Mandir Trust, Rajpura, from the leased land, and the jurisdiction of the Estate Officer shall extend to the local limits of Rajpura-140401 in the State of Punjab.

[F. No. 4(33)/86-KVI-I]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.